## उत्तर प्रदेश शासन लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग संख्याः 256/91—2021—09/2014 लखनऊ दिनांकः © प्रनवम्बर, 2021

### अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनिहत गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से समय—समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या—2198/एक—14—2010—33(100)—2010 टी०सी0—111, दिनांक, 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :—

# संशोधन

पूर्वीक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कम संख्या 85 की प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :--

## अनुसूची

क्रम संख्या		सेवाएं	पदामिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीम 1	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय—सीमा
1	- 2	3	4.	5	6	7	8	9
86.	भूगर्भ जल विभाग	1 कूप का पंजीकरण	सदस्य सचिवः/ सम्बंधित जिला का मुख्य विकास अधिकारी, जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष / एर्गन्बंधित जिला का जिलाधिकारी, जिला मू—गर्भ जल प्रबन्धन परिषद	30 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, राज्य भूगर्म जल प्रबन्धन एवं विनिधामक प्राधिकरण/ निदेशक, भूगर्भ जल विमाग, उत्तर प्रदेश।	30 कार्य दिवस
		2— भूगर्भ जल निष्कर्षण प्राधिकार की स्वीकृति	सदस्य सचिव / सम्बंधित जिला का मुख्य विकास अधिकारी, जिला भू—गर्भ जल प्रबन्धन परिषद	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष / संन्यंधित जिला का जिलाधिकारी, जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद	30 कार्य विवस	सदस्य सचिव, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं / विनियामक प्राधिकरण / निवेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।	30 कार्य दिवस

आज्ञा से

(जित्र कुमार) प्रमुख सुविव।

### UTTAR PRADESH SHASAN LOK SEWA PRABANDHAN ANUBHAG

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 256 /91-2021-09/2014 dated 3 November, 2021.

### **NOTIFICATION**

No.256/91-2021-09/2014 Lucknow: Dated \ November, 2021,

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P.Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act. no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Government Notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010T.C.-III dated January 15, 2011 as amended from time to time:-

### **AMENDMENT**

In the aforesaid notification, in the Schedule after entries at serial number 85, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, column-wise be inserted, namely:-

#### Schedule

Sr. no.	Name of the Departments		Designated Officer	Stipulated time limits for services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal of First Appeal Officer	Second Appellate Authority	Stipulated time limits for disposal of Second Appeal Officer
1 29	2	3	4	5	6.	7	8.	9
86	Ground Water Department U.P.	1- Registration of Well	Member Secretary/ Chief Development Officer, District Ground Water Managment Council of concerning district	30 working days	Chuirman/ District Magistrate, District Ground Water Managment Council of concerning district	30. working days,	Member Secretary/ State Ground Water Mangement and Regulatory Authority/ Director, Ground Water Department, U.P.	30 working days,
		2- Grant of "Authorization for Ground Water abstraction	Member Secretary/ Chief Development Officer, District Ground Water Managment Council of concerning district	30 working days	Chairman/ District Magistrate, District Ground Water Managment Council of concerning district	30 working: days.	Member Secretary/ State Ground Water Mangement and Regulatory Authority/ Director, Ground Water Department, U.P.	30 working days.

By order,

(Jitendra kumar) PRAMUKH SACHIV